रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052022-235658
CG-DL-E-09052022-235658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944
No. 328]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड]
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 343(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (v) और उपखंड (vi), धारा 12 कख की उपधारा (3), धारा 35 की उपधारा (1) के पहले और पांचवे परंतुक और उपधारा (1क) ,धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 80छ की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) और खंड (ix) साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट-II में, -

(i) प्ररूप सं. 3गच में,-

(क) पंक्ति 6ख के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी:-

“6ख यदि व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति (जैसा पंक्ति 6क में उल्लिखित है) ऐसा व्यष्टि नहीं है, तो ऐसे नैसर्गिक व्यक्ति, जो आवेदन की तारीख को ऐसे व्यक्ति के हिताधिकारी स्वामी (5% या अधिक) हैं, के निम्नलिखित ब्यौरे दें :

क्रम संख्या	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	व्यक्ति व्यष्टि के अतिरिक्त (जैसा कि पंक्ति 6क में उल्लिखित है) जिसमें हितकारी स्वामित्व है	हिताधिकारी स्वामित्व की प्रतिशतता”;

(ख) पंक्ति 7 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी :-

“7 प्रयोगशाला/ अनुसंधान सुविधा/ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ अन्य संस्थान, जिसका आवेदक द्वारा प्रबंध/ नियंत्रण/ प्रशासन किया जा रहा है/ उसके स्वामित्व में है, के ब्यौरे:

प्रयोगशाला/ अनुसंधान सुविधा/ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ अन्य संस्था का नाम	क्या धारा 35 के अंतर्गत आती है? (हां/नहीं)	स्थापना वर्ष	क्रियाकलाप की प्रकृति	पता	क्या आवेदक के स्वामित्व में है? (हां/नहीं)	भारसाधक व्यक्ति				
						नाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	आईडी कोड	विशिष्ट पहचान संख्या”;

(ग) पंक्ति 13 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी:-

“13 आवेदन की तारीख को अनुसंधान संगम के स्वामित्वाधीन अनुसंधान सुविधाओं/ आस्तियों के ब्यौरे :

क्र.सं.	उपस्कर का वर्णन	उपकरण में विनिर्दिष्ट ब्यौरे	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत”;

(घ) पंक्ति 16 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी:-

“16 आवेदक संगठन के नाम से आवेदित या रजिस्ट्रीकृत पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह या वैसे ही अन्य अधिकारों के ब्यौरे :

(क) आवेदित/ प्रदान किए गए पेटेंट के ब्यौरे :

क्र. सं.	आविष्कार का शीर्ष	विवरण	आविष्कारक(आविष्कारकों) के नाम	आवेदक संगठन के साथ आविष्कारक (आविष्कारकों) का सहयोजन	क्या पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है/ पेटेंट प्रदान किया गया है	पेटेंट आवेदन संख्या / पेटेंट संख्या	तारीख	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के द्वारा	पेटेंट से आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

(ख) आवेदित/प्रदान किए गए प्रतिलिप्याधिकार के ब्यौरे :

क्र. सं.	रचना का शीर्षक, जिसके लिए प्रतिलिप्या-धिकार का आवेदन किया गया है/प्रदान किया गया है	विवरण	लेखक का (लेखकों के) नाम	आवेदक संगठन के साथ लेखक (कों) का सहयोजन	क्या प्रतिलिप्या-धिकार के लिए आवेदन किया गया है/ प्रतिलिप्या-धिकार प्रदान किया गया है	प्रतिलिप्या-धिकार आवेदन संख्या / प्रतिलिप्या-धिकार संख्या	तारीख	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के द्वारा	प्रतिलिप्या-धिकार से आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

(ग) आवेदित या प्रदान किए गए व्यापार चिन्ह या वैसे ही अन्य अधिकारों के ब्यौरे :

क्र.सं.	व्यापार चिन्ह या वैसे ही अन्य अधिकारों का शीर्षक	वर्णन	आविष्कारक का (आविष्कारकों के) नाम	आवेदक संगठन के साथ आविष्कारक (कों) का सहयोजन	क्या व्यापार चिन्ह के लिए आवेदन किया गया है/व्यापार चिन्ह प्रदान किया गया है	व्यापार चिन्ह आवेदन संख्या / व्यापार चिन्ह संख्या	तारीख	यदि व्यापार चिन्ह वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया गया है तो किस के द्वारा	व्यापार चिन्ह या अन्य वैसे ही अधिकारों से आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

घ) विकसित किए गए नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और तकनीकों के ब्यौरे :

क्र.सं.	प्रवर्ग: नया उत्पाद/ प्रक्रिया/ पद्धति/ तकनीक	शीर्ष	विवरण	आविष्कारक का (आविष्कारकों के) नाम	आवेदक संगठन के साथ आविष्कारक (कों) का सहयोजन	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के द्वारा	आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

(ङ) विद्यमान उत्पादों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और तकनीकों में किए गए सुधारों के ब्यौरे :

क्र.सं.	प्रवर्ग: वर्तमान उत्पाद/ प्रक्रिया/ पद्धति/ तकनीक	शीर्ष	विवरण	आविष्कारक का (आविष्कारकों के) नाम	आवेदक संगठन के साथ आविष्कारक (कों) का सहयोजन	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के द्वारा	आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

(च) विकसित किए गए नए सिद्धांतों, मॉडल और परिकल्पना के ब्यौरे :

क्र.सं.	प्रवर्ग: नए सिद्धांत/ मॉडल/ परिकल्पना	शीर्ष	विवरण	लेखक का (लेखकों के) नाम	आवेदक संगठन के साथ लेखक (कों) का सहयोजन	क्या सिद्धांत या परिकल्पना व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है	आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

(छ) आयात प्रतिस्थापन के उत्पादों के ब्यौरे :

क. सं.	उत्पाद का विवरण	आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार हुआ के बारे में संक्षिप्त विवरण";

(ङ) पंक्ति 29 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी :-

"29 पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पूर्व के पिछले तीन वर्ष में प्राप्त आय जिसमें आवेदन किया गया है:

वित्तीय वर्ष	अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्राप्त दान		अनुसंधान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए प्राप्त दान		अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान	अन्य आय	कुल आय";
	समग्र निधि	गैर समग्र निधि	समग्र निधि	गैर समग्र निधि			

(च) उपाबंध अनुलग्नक में, शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों "वित्त वर्ष_______________धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत" के स्थान पर, शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों,-

"क्या आप धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा कर रहे हैं? हां/नहीं

वित्त वर्ष. _______________धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत", को रखा जाएगा;

(छ) "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए निर्देश" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर, "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए टिप्पणी" शब्दों, अक्षरों और अंको को रखा जाएगा;

(ज) "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए टिप्पण"में,-

(I) खंड 5 में, उप-खंड i का लोप किया जायेगा;

(II) खंड 7 में, उप-खंड iii के पश्चात्, निम्न शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'टिप्पण: उपकरणों के विनिर्दिष्ट विवरण को अन्य आस्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से भरा जाना आपेक्षित है |';

(III) खंड 8 में, उप-खंड vi के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"vi. अन्य (कृपया संघ विनिर्दिष्ट करें)";

(IV) खंड 12 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"12. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है:

- जहां आवेदक को एक लिखत के अधीन गठित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
- जहाँ आवेदक का गठन एक लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है, आवेदक सृजन , या स्थापना का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;
- यथास्थिति, कंपनीयों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार या अन्य

रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;

- जहां धारा 35के अधीन पिछला रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत कर दिया गया था, तो अस्वीकरण के आदेश की प्रति (यदि 5का उत्तर हां है)
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
- धारा 35के अधीन अनुमोदन देने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
- अनुसंधान गतिविधियों पर व्यापक टिप्पण (यदि आवेदक द्वारा अनुसंधान गतिविधियां नहीं की गई है तो स्वसत्यापित शून्य घोषण साथ लगाएं)
- आवेदक के गत तीन वर्षों के स्वसत्यापित लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की प्रति-)यदि पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षित खाते नहीं है तो प्रत्येक वर्ष का अलग से शून्य स्व सत्यापित घोषणा लगाएं-
- दाताओं की स्वसत्यापित प्रति-, उनके नाम पूरे डाक पते के साथ तथा उनके द्वारा दी गई राशि जो आवेदक को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई है। किसी वित्त वर्ष में पचास हजार रूपए से अधिक की राशि दी गई है तो दाता के आधार या पैन का वर्णन करें। (यदि गत तीन वर्षों में कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है तो स्व सत्यापित शून्य घोषणा लगाएं) |";

(झ) "धारा 10 (21) और इसके खंड 1 और 2 अधीन छूट का दावा करने के मामले में उपाबंध भरने के निर्देश" के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"धारा 10 (21) के अधीन किसी भी छूट का दावा करने के मामले में उपाबंध करने के लिए टिप्पण

1 "वित्त वर्ष. _______________धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत. _____" पंक्ति के स्थान पर, नए वित्त वर्ष का चयन करें जिसके लिए वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व तीन पूर्ववर्ती वर्षों से लेखा बही की लेखापरीक्षा की गई है-, जिसमें कि आवेदन किया गया था।

2 पंक्ति 2 में निम्नलिखित "व्यक्ति" में से एक का चयन किया जाएगा:

(क) आवेदक का संस्थापक

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदक के लिए एक लाख रुपये से अधिक का अभिदाय है

(ग) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब संयुक्त परिवार (एचयूएफ) का कोई भी सदस्य जहां एचयूएफ संस्थापक है

(घ) आवेदक का प्रबंधक (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो)

(ड) संस्थापक के एक संबंधी, प्रबंधक के सदस्य

(च) कोई समुत्थान जिसमें, क से ङ तक निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का सारवान् हित है ।

3 पंक्ति 4 में यदि कोई लाभ निर्दिष्ट किया गया है, तो लाभ, सुविधा या अनुज्ञप्ति की प्रकृति का एक विस्तृत विवरण प्रदान करें.";

(ii) प्ररूप 10क में,-

(क) पंक्ति 2 के पश्चात, निम्नलिखित पंक्ति अंत:स्थापित की जाएगी:-

"2क	उप-श्रेणी	
2ख	आपको पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	हाँ ☐ नहीं ☐ ";

(ख) पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति अंत: स्थापित की जाएगी:-

"14क	कुल देनदारियां		";

(ग) पंक्ति 19 के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति अंत: स्थापित की जाएगी:-

"19ख	कुल आस्तियां		";

(घ) "प्ररूप सं. 10क भरने के लिए निर्देश" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ड.) प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण में,-

(I) खंड (2) और इसकी पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रविष्टियाँ इसके अंतर्गत रखी जाएगी, अर्थात्:-

"2. धारा 12क/80छ/10(23ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पंक्ति 2 में निम्न कोड में से किसी एक का चयन करें

1	धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (कग) का उप खंड (i)	01
2	धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (कग) का उप खंड (vi)	02
3	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में आने वाले आवेदकों के लिए	03
4	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) में आने वाले आवेदकों के लिए	04
5	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) में आने वाले आवेदकों के लिए	05
6	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (23ग) के उपखंड (viक) में आने वाले आवेदकों के लिए	06
7	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में आने वाले आवेदकों के लिए	07
8	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) में आने वाले आवेदकों के लिए	08
9	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) में आने वाले आवेदकों के लिए	09
10	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (viक) में आने वाले आवेदकों के लिए	10
11	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (i)	11
12	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (iv)	12

धारा 35 के उप-धारा (1) के लिए पांचवें परंतुक के अधीन सूचना के लिए आवेदन, पंक्ति 2 में निम्न कोडों में से किसी एक का चयन करें:

क्र.स.	श्रेणी	धारा 35 की उपधारा (1) के सुसंगत खंड		सेक्शन कोड
1	वैज्ञानिक अनुसन्धान	खंड (ii)	अनुसंधान संगम	13
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	14
		खंड (iia)	कंपनी	15

2	सामाजिक विज्ञान	खंड (iii)	अनुसंधान संगम	16
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	17
3	सांख्यिकी	खंड (iii)	अनुसंधान संगम	18
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	19

2क. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 14, 17 या 19 का चयन करता है, तो विकल्प "उप-श्रेणी" लागू होगा और निम्नलिखित उप-श्रेणी में से एक का चयन किया जाएगा:

क्र.स.	उप-श्रेणी
1.	विश्वविद्यालय
2.	महाविद्यालय
3.	अन्य संस्था";

(II) खंड 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

"8. पंक्ति संख्या 9क के स्थान पर, स्तंभ "संबंध", में निम्नलिखित में से एक या अधिक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(क) लेखक
(ख) संस्थापक
(ग) विन्यासक
(घ) न्यासी
(ङ) समाज के सदस्य
(च) शासी परिषद के सदस्य
(छ) निदेशक
(ज) शेयरधारिता में 5 प्रतिशत या अधिक धारण करने वाले शेयरधारक
(झ) पदाधिकारी
(ञ) मुख्य अधिकारी
(ट) सत्यापन हेतु सक्षम व्यक्ति
(ठ) मुख्य सचिव
(ड) सचिव
(ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ण) मुख्य वित्त अधिकारी
(त) प्रबंधक
(थ) निर्धारिती
(द) कोई अन्य मुख्य अधिकारी
(ध) प्रबंध निदेशक
(न) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ";

(III) खंड 11 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे:-

"11क. आवेदक के पास पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण अनुमोदन प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे |";

(IV) खंड 12 और पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड और पंक्तियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"12 निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है

अनुभाग कोड	संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
01	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42)के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)(यदि अंतिम किसी भी तीन वर्षों का संपरीक्षित वार्षिक लेखा नहीं है तब अलग से प्रत्येक वर्ष के लिए स्वप्रमाणित शून्य घोषणा प्रमाणपत्र संलग्न करें);
02	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां • जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार कारगार उपक्रम किया जाता है और आवेदक वित्तीय वर्ष जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित ऐसे

	कारबार करने के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां और प्रति ऐसी अवधि के लिए धारा 44 कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति ; • यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आवेदन के अस्वीकृत आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;
03/04/05/06	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
07/08/09/10	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां • धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
11	• जहां लिखत के अधीन आवेदक निर्मित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां लिखत के अन्यथा आवेदक निर्मित किया गया है, या स्थापित किया गया है, आवेदक के निर्माण,

	या स्थापना के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति, कंपनीयों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो; • विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
12	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42)के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां । • आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
13-19	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
1,3,4,5,6, 11	• स्वप्रमाणित शपथपत्र जहां आवेदक पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रमाणपत्र नहीं रखता है";

(iii) प्ररूप सं. 10 कख में , -

(क) पंक्ति 9ख के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:-

“9ख — यदि (पंक्ति 9क में यथा उल्लिखित) व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति एक व्यष्टि नहीं है तो प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें जो आवेदन की तारीख को ऐसे व्यक्ति के फायदाग्राही स्वामी (5 प्रतिशत या अधिक) हैं:

क्रम सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	गैर व्यष्टि व्यक्ति (जैसा की पंक्ति 9क में वर्णित है) जिसमे हितकारी स्वामित्व है	फायदाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत”;

(ख) पंक्ति 20 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“20क	कुल देनदारियां	”

(ग) पंक्ति 25 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“25क	कुल परिसंपत्तियां	”;

(घ) पंक्ति 26 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:-

	पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय, जिसमें आवेदन किया गया है :					
“26	पूर्व वर्ष	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनीयों से प्राप्त अनुदान	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	अन्य आय	कुल”;

(ड) प्ररूप सं. 10कख भरने के निर्देश" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप सं. 10कख भरने के लिए टिप्पण" शब्दों , अक्षरों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) प्ररूप सं. 10खघ में,-

(क) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“भाग ख

दानदाताओं और दान का विवरण

क्रम सं	पूर्व पावती स.	दाता की विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	अनुभाग कोड	विशिष्ट रजिस्ट्री संख्या (यू आर एन)	विशिष्ट रजिस्ट्री संख्या जारी करने की तारीख	दाता का नाम	दाता का पता	दान का प्रकार	प्राप्ति की पद्धति	दान की रकम (भारतीय रुपए में)

मैं, ___________________पुत्र / पुत्री_________________ पूरी तरह से घोषणा करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है।

मैं आगे घोषणा करता /करती हूं कि मैं इस प्रमाणपत्र को ____________ के रूप में मेरी क्षमता में बनाना और मैं इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम भी हूं। मेरा स्थायी खाता संख्या __________________ यह है।

हस्ताक्षर";

(ख) प्ररूप सं. 10खघ भरने के निर्देश" शब्दो के स्थान पर, "प्ररूप सं. 10खघ भरने के लिए टिप्पण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(v) प्ररूप सं. 10खड़ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप स. 10खड.

(नियम 18कख देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन और धारा 35 की उपधारा (1क) को खंड (ii) के अधीन दान का प्रमाण पत्र

		पावती स.	क ख ग घ 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1
आदाता	1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पैन	क ख ग घ ड 1 23 4 च
	2	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम	
	3	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता	
	4	विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या (यू आर एन)	
	5	विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी करने की तारीख	
दानदाताओं और दान का विवरण	6	विशिष्ट पहचान संख्या	पैन क ख ग घड 1 2 3 4 च आधार अन्य
	7	दाता का नाम	
	8	दाता का पता	
	9	प्राप्त दान की रकम	
	10	वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसा दान प्राप्त हुआ था	
	11	दान का प्रकार	कोर ☐ विनिर्दिष्ट अनुदान ☐ अन्य ☐
	12	वह धारा, जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र है	धारा 80छ(5)(vi) ☐ धारा 35(1)(ii) ☐ धारा 35(1)(iiक) ☐ धारा 35(1)(iii) ☐

सत्यापन

मैं ...., पुत्र/पुत्री ...., सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर

अधिनियम, **1961** के अनुसार के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस प्रमाणपत्र को .... के रूप में अपनी हैसियत से बना रहा हूं और मैं इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम भी हूं। मैं स्थायी खाता संख्या .... धारण कर रहा हूं ।

तारीख : .

हस्ताक्षर : ....";

[अधिसूचना संख्या 51/2022 / फाईल सं. 370142/4/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.341(अ) तारीख 6 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।